न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 41–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–10–2012 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला इन्दौर प्रकरण कमांक 52/बी–103/11–12/33.

---

सेम्युअल राबर्ट पिता नथेनियल राबर्ट
निवासी 310, विष्णुपुरी एनेक्स, इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
तर्फे कलेक्टर आफ स्टाम्प
2– श्रीमती डेल्फिन पति जफर वैसली
निवासी 14, मेव रोड
मोहन पार्क इलाहाबाद .....अनावेदकगण

---

श्री उमेश यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

---

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप पंजीयक, इन्दौर द्वारा पत्र कमांक 217 दिनांक 27–12–11 के संलग्न निष्पादित हक त्याग विलेख अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत परिबद्ध कर अधिनियम की धारा 38 (2) के अंतर्गत कमी मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इन्दौर को भेजा गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 52/बी–103/11–12/33 दर्ज कर दिनांक 23–10–2012 को आदेश पारित किया

जाकर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 21,66,000/– निर्धारित किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 1,85,770/– एवं शास्ति रूपये 30,000/– अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 2,15,770/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 17–8–2016 को अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने जाकर, इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज की प्रकृति का उचित मनन एवं आकलन किये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(2) उप पंजीयक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन लिखत को दानपत्र की श्रेणी में मानते हुए बाजार मूल्य की गणना कर जो मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति अधिरोपित की गई है, वह त्रुटिपूर्ण है ।

(3) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दानपत्र एवं हक त्याग विलेख का उचित मनन नहीं करने में गंभीर भूल की गई है ।

(4) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बिना साक्ष्य लिये केवल प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन सम्पत्ति का अंतरण किया जाकर दस्तावेज निष्पादन किया गया है, जो कि स्पष्टतः दानपत्र की श्रेणी में आता है । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत प्रकरण दर्ज कर आवेदक को

सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं स्थल निरीक्षण किया जाकर आदेश पारित किया गया है, जो कि वैधानिक एवं उचित आदेश है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति के कुल 6 उत्तराधिकारी हैं, और केवल 4 व्यक्तियों के द्वारा त्यागकर्ता एवं एक हकग्रहीता को मिलाकर 5 व्यक्ति दस्तावेज का निष्पादन कर रहे हैं, अतः सभी सह–स्वामियों द्वारा अपना हिस्सा आवेदक के पक्ष में नहीं छोड़ा गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन दस्तावेज, दानपत्र की श्रेणी में आता है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज को दानपत्र मानकर बाजार मूल्य निर्धारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । चूंकि आवेदक द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, इसलिए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिरोपित शास्ति भी विधिसंगत है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–10–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर